किस्म मुकदमा प्रा०पत्र 111-128 नं० 96 सन्

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
-23	वाद / प्रार्थनापत्र वाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 25.5.23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल
25/5/23	पत्रावली महगांई राहत कैम्प एवं प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 कैम्प ग्राम पचांयत कुराड़ मे पेश हुई विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। हुक्माचन्द रोहलानिया उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 15:42:08 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान –सरकार **प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या –96/23 प्रा०प०

1श्री ठाकुर जीस्थान देह धुंवाला जरिए पुजारी श्री गोपालदास s/o श्री सुखरामदास वैष्णव निवासी-धुंवाला तहसील-माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1-श्री रतनलाल s/o श्री कल्याण ब्राह्मण निवासी-धुंवाला तहसील-माण्डल [वगैरा]
(पृष्ठांकित प्रा०पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:-25.5.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धुंवाला पटवार हल्का धुंवाला तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न॰2012, 2089 कुल किता 02 रकबा0.4806 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतादायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18.05.23 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम धुंवाला पटवार हल्का धुंवाला तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न 2012, 2089 कुल किता 02 रकबा 0.4806 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक माण्डल को 500/-रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजुदगी मे मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 15:42:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख ... नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत ...

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023